तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/824/2005/जयपुर मोहन लाल बनाम श्रीमती गीता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05-12-18	**एकलपीठ** **श्री धूकलराम कसवां, सदस्य** **उपस्थित** श्री राजेश गौतम अभिभाषक प्रार्थी श्री श्याम बाबू पारीक अभिभाषक अप्रार्थी **निर्णय** यह निगरानी सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 31-8-04 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 84 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि खातेदार भगवान सहाय पुत्र पूराराम के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण संख्या 92 दिनांक 9-6-96 तहसीलदार बस्सी ने अप्रार्थी गीता देवी के पक्ष में स्वीकृत करने का आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28-8-98 के द्वारा अपील खारिज कर दी,जिसके विरूद्ध द्वितीय अपील सम्भागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-8-04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है। उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी के पक्ष में खातेदार भगवान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/824/2005/जयपुर मोहन लाल बनाम श्रीमती गीता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सहाय द्वारा जातीय रीति रिवाज के अनुसार ग्राम के मुखिया के समक्ष याददास्त लिखावट गोदनामा दिनांक 2-8-98 एवं प्रार्थी के पक्ष में ही अन्तिम वसीयत दिनांक 23-1-96 को निष्पादित की थी इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त करना चाहिये था। तहसीलदार ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि प्रथम 45 दिन तक नामान्तरकरण तस्दीक करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त गोद लेने के समय से ही प्रार्थी का चला आ रहा है। नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कब्जे काश्त बाबत कोई जांच नहीं की गई। इसलिये सम्भागीय आयुक्त जयपुर,अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर एवं तहसीलदार बस्सी द्वारा पारित सभी आक्षेपित आदेश निरस्त किये जावें। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी अपने आप को गोद पुत्र बताता है जबकि खातेदार भगवान सहाय द्वारा उसे कभी गोद नहीं लिया गया। न ही कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया गया है। न ही प्रार्थी के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित की गई है। गोदनामा एवं वसीयत दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण अप्रार्थी के पक्ष में विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। खातेदार भगवान सहाय की भूमि पर प्रार्थी उसके	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/824/2005/जयपुर मोहन लाल बनाम श्रीमती गीता	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्ष में निष्पादित तथाकथित गोदनामा एवं वसीयत के आधार पर क्लेम कर रहा है। उक्त दोनों दस्तावेज पंजीकृत नहीं हैं। गोद जाने के प्रमाण स्वरूप जो लिखावट पेश की गई है वह न तो गोदनामे की श्रेणी में आती है और नही वसीयत की श्रेणी में आती है। जबकि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 92 भगवान सहाय की दिनांक 17-2-96 को मृत्यु होंने पर रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 4-12-95 के आधार पर पटवारी द्वारा दिनांक 27-2-96 को दर्ज किया गया है जिसे तहसीलदार बस्सी ने दिनांक 13-5-96 को स्वीकृत किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवां)** **सदस्य**	